न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एस0एस0अली
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 2031/–एक/2005 विरुद्ध आदेश दिनांक 30–9–2005 – पारित व्दारा अपर आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर – प्रकरण कमांक 604/2002–03 अपील

निहाल सिंह पुत्र खुमान सिंह रघुवंशी
ग्राम जलालपुर तहसील अशोकनगर
जिला अशोकनगर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरुद्ध

गिरवर सिंह पुत्र खुमान सिंह रघुवंशी
ग्राम जलालपुर तहसील व जिला अशोकनगर ———अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री ए.के.अग्रवाल)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री धमेन्द्र चतुर्वेदी)

आ दे श
(आज दिनांक 11 – 8–2017 को पारित)

यह निगरानी आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के प्रकरण 604/2002–03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30–9–2005 के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम जलालपुर स्थित भूमि कुल किता 2 कुल रकबा 1–495 हैक्टर आवेदक एंव अनावेदक (दोनों सगे भाई) के समान भाग पर विकय पत्र दिनांक 30–5–1968 से कय की गई एंव कय उपरांत समस्त कय की गई भूमि अर्थात रकबा 1–495 हैक्टर पर अनावेदक एकमात्र का नामान्तरण किया गया। आवेदक ने वर्ष 99–2000 में विकय पत्र की प्रति प्रस्तुत कर ग्राम पंचायत से स्वयं हिस्से पर कय की गई भूमि पर नामांत्रण की प्रार्थना की, जिस पर अनावेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की। फलतः मामला निराकरण हेतु नायब तहसीलदार अशोकनगर के यहॉ अंतरित होने पर प्रकरण कमांक 38 अ–6/1999–2000 पर

पंजीबद्ध हुआ एंव आवेदक का नामान्तरण आवेदन आदेश दिनांक 8-5-2001 से इस आधार पर अमान्य किया गया, क्योंकि पूर्व में अनावेदक के नाम हुये नामान्तरण को अपील में चुनौती नहीं दी गई। इस आदेश के विरुद्ध अनुविभागीय अधिकारी, अशोकनगर के न्यायालय में अपील प्रस्तुत हुई। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 131/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 से अपील खारिज कर दी। अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर के इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष द्वित्तीय अपील प्रस्तुत हुई। आयुक्त ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण 604/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-9-2005 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से व्यथित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेशों के अवलोकन से परिलक्षित है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों ने आदेशों में निष्कर्ष दिये हैं कि विकय पत्र के आधार पर पूर्व में अनावेदक के नाम हुआ नामान्तरण अपील के अभाव में अंतिम है इसलिये पुनः नामान्तरण कार्यवाही लम्बे विलम्ब के कारण विचार में नहीं ली जा सकती। अनुविभागीय अधिकारी एंव अपर आयुक्त व्दारा निष्कर्ष निकाले गये हैं कि विकय पत्र दिनांक 20-5-68 के 32 वर्ष वाद नामान्तरण कराने हेतु प्रस्तुत आवेदन में कोई ठोस नहीं दर्शाया है। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि जब आवेदक स्पष्ट रुप से कारण बता रहा है कि अनावेदक बड़ा भाई होने से घर में ज्येष्ठ एंव घर का कर्ताधर्ता रहा है उसका दायित्व था कि विकय पत्र में अंकित रकबे पर स्वयं के भाई का भी समान भाग पर नामान्तरण कार्यवाही कराता, किन्तु उसके व्दारा ऐसा न करके सामिलाती भाग पर कय की गई संपूर्ण

भूमि पर स्वयं का नामान्तरण कराया है । जब विक्रय पत्र में वादग्रस्त भूमि के समान भाग के दो क्रेता हैं, एंव एक क्रेता नामान्तरण की मांग करता है तब उस क्रेता का नामान्तरण विक्रय पत्र में दर्शाए गए भू भाग अर्थात आधे भाग पर किया जायेगा, किन्तु तत्कालीन नामान्तरणकर्ता अधिकारी ने संपूर्ण क्रय रकबे पर एक क्रेता का नाम छोड़कर आधे भाग के क्रेता का संपूर्ण भू भाग पर नामांत्रण करके कपटपूर्ण एंव जालसाजी पूर्ण कार्यवाही की है।

1. भारत सँघ विरुद्ध रमेश गाँधी (2012)1–SCC 476 में न्याय दृष्टांत प्रतिपादित है – कपट से प्राप्त निर्णय , आज्ञप्ति या आदेश अकृत एंव प्रभाव शून्य है, उक्त निर्णय को प्रथम या अंतिम न्यायालय अकृत समझेगा। उच्चतर न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रभावशून्य समझा जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय/प्राधिकारी द्वारा दिया गया निर्णय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में समाविष्टि हो जाता है परन्तु जहां कपट किया गया, कपट किया जाना स्थापित किया गया, आदेश प्रभावहीन हो जायेगा और विधि की दृष्टि में वह आदेश नहीं है, यह माना जायेगा।
2. मोहन स्वरुप विरुद्ध हाकिम सिंह 2002 रा0नि0 80 का दृष्टांत है कि नामान्तरण आदेश तथ्य को छुपाकर प्राप्त किया गया। ऐसा आदेश राजस्व मण्डल द्वारा अपास्त किया जा सकता है।
3. लरिया विरुद्ध सुन्दरलाल 1987 रा0नि0 349 का न्याय दृष्टांत है कि विक्रय विलेख रजिस्टीकृत किया गया, परन्तु 30 वर्ष पश्चात् नामान्तरण हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया, यद्यपि उसमें संहिता की समुचित धारा का उल्लेख नहीं किया गया, परन्तु नामान्तरण आवेदन पत्र एंव कार्यवाही वर्जित नहीं है।

विचाराधीन प्रकरण में भी यही स्थिति है कि अनावेदक ने संयुक्त विक्रय पत्र के संपूर्ण रकबे पर कपट करके नामान्तरण कराया है जबकि आवेदक वादग्रस्त भूमि में से आधी भूमि पर नामान्तरण कराने का अधिकारी रहा है एंव तत्समय विक्रय पत्र पर से संपूर्ण रकबे पर अनावेदक के हित में किया गया नामान्तरण प्रारंभ से ही त्रुटिपूर्ण होने से शून्यवत् है जिसके कारण ऐसे नामान्तरण आदेश को री–ओपिन करके नायब तहसीलदार अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 38 अ–6/1999–2000 में पारित आदेश दिनांक 8–5–2001

में ध्यान न देने की भूल की है तथा अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर ने प्रकरण कमांक 131/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 में एंव अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर ने प्रकरण 604/2002-03 अपील में आदेश दिनांक 30-9-2005 पारित करते समय इन तथ्यों पर ध्यान न देने में भूल की है , जिसके कारण विकय पत्र पर के संपूर्ण रकबे पर अनावेदक का पूर्व में किया गया नामान्तरण एंव तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी ऑशिक रुप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर व्दारा प्रकरण 604/2002-03 अपील में आदेश दिनांक 30-9-2005 , अनुविभागीय अधिकारी अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 131/2000-01 अपील में पारित आदेश दिनांक 30-6-2003 तथा नायव तहसीलदार अशोकनगर व्दारा प्रकरण कमांक 38 अ-6/1999-2000 में पारित आदेश दिनांक 8-5-2001 के साथ विकय पत्र पर के संपूर्ण रकबे पर अनावेदक का पूर्व किया गया नामान्तरण आदेश त्रूटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा प्रकरण तहसीलदार शाढौरा की ओर इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर